

राजस्थान सरकार
कार्यालय नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग,
22 गोदाम सहकार पथ, जयपुर
(दूरभाष : 2740834, 2740838)

क्रमांक:प.30/संस्था/स्टे.मो.गै/2013 / 7860

दिनांक 18-11-2016

निदेशक,
जन सम्पर्क निदेशालय,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:— विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है, कि राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 व समय—समय पर संशोधित नियम के अन्तर्गत वाहन चालकों के 130 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये जाने हेतु समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 04.07.2013 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त भर्ती अपरिहार्य कारणों से एतद् द्वारा निरस्त की जानी है। जिसके लिए तैयार विज्ञप्ति संलग्न कर निवेदन है कि दो राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:— 1. विज्ञप्ति (दो प्रति)
2. सी.डी.01

भवदीय,

महेन्द्र सोनी
नियन्त्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक: 7861-69

दिनांक 18-11-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, राज.स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राज.स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर।
3. ✓ सहायक शासन सचिव, स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न विज्ञप्ति को <http://gad.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कराने संबंधी कार्यवाही करावें।
4. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त बोकानेर हाउस, नई दिल्ली।
5. समस्त जिला कलेक्टर (राज.)।
6. मण्डलीय अधीक्षक स्टेट मोटर गैराज विभाग जोधपुर/उदयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी भण्डार शाखा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न विज्ञप्ति को स्टेट मोटर गैराज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने संबंधी कार्यवाही करावें।
8. नोटिस बोर्ड
9. रक्षित पत्रावली।

नियन्त्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग,
सहकार पथ, 22 गोदाम, जयपुर

(दूरभाष : 2740834, 2740838)

क्रमांक: प.3 (14)संस्था/स्टे.मो.गै./वा.चा. भर्ती/2013/7859 दिनांक 18.-11-2016

विज्ञप्ति

राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 व समय—समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत वाहन चालकों के 130 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये जाने हेतु समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 04.07.2013 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त भर्ती अपरिहार्य कारणों से एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।


नियन्त्रक एवं पदेन संयुक्त सचिव